

महिला एवं बाल विकास विभाग

बेस नं. 15-20, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा

दूरभाष नं. 0172-2560349

सार्वजनिक सूचना

अंतिम तिथि : 16 अक्टूबर 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (HSCPCR) के कार्यालय में सदस्यों के 06 पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनमें से 02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

योग्यताएँ :-

ऐसे व्यक्ति जो प्रतिष्ठित, सक्षम, सत्यनिष्ठ, प्रतिष्ठा एवं अनुभव रखने वाले हों तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखते हों :-

- (i) शिक्षा;
- (ii) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण अथवा बाल विकास;
- (iii) किशोर न्याय अथवा उपेक्षा/हानि पर रहने वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखभाल;
- (iv) बाल श्रम उन्मूलन अथवा संकटग्रस्त बच्चों से संबंधित कार्य;
- (v) बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र; तथा
- (vi) बच्चों से संबंधित कानून।

आयु : 60 वर्ष से कम।

कार्यकाल : तीन वर्ष।

A. पदावधि:

प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे धारा 7 के अंतर्गत पद से नहीं हटाया जाता, तीन वर्ष से अधिक की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा। जो व्यक्ति सदस्य के पद पर रह चुका है, वह सदस्य के रूप में पुनर्नामांकन अथवा अध्यक्ष के रूप में नामांकन के लिए पात्र होगा।

परन्तु, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी हिसाब से अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में दो कार्यकाल पूरा कर चुका है, वह पुनः अध्यक्ष अथवा सदस्य, जैसा भी मामला हो, के रूप में नामांकन हेतु पात्र नहीं होगा।

वेतन एवं भत्ते:

(a) आयोग के सदस्य को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹. 2,000/- प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा।

(b) आयोग के सदस्य वित्तीय, प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामलों में समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(c) इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों, जैसे शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र आदि सहित, दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सायं 5.00 बजे तक डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :-

महिला एवं बाल विकास विभाग, बेस नं. 15-20, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा।

(d) उपरोक्त विज्ञापन हेतु आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वेबसाइट wedhry.gov.in पर उपलब्ध है।

संयुक्त निदेशक

कृते :- निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग,
पंचकूला, हरियाणा।

PRDH-1128/11/704/2027/48637/67/6